रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223348 CG-DL-E-26112020-223348

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3746]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/आग्रहायण 5, 1942

No. 3746]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली. 26 नवम्बर. 2020

का.आ. 4251(अ).— केंद्रीय सरकार, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 27 नवम्बर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 36 प्रवृत्त होगी।

[सं. आरटी-16011/09/2019-टी (भाग)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

S.O. 4251(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 27th day of November, 2020 as the date on which the section 36 of the said Act shall come into force.

[No. RT-16011/09/2019-T (Part)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

5785 GI/2020